we cannot compare china's political system and India's political system. It is very difficult. We can assess the situation, but, at the same time, we cannot implement the Chinese model straightway in the Indian conditions. If the Member thinks we can implement the Chinese model as it is, I do not think it is possible. *(Interruptions)*.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am saying that you can assess the Chinese market and see how you can adopt it to the Indian conditions. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: One question has taken 35 minutes. *(Interruptions)*. You can have a debate on that. I think it is important. Now, the next question.

उत्तर प्रदेश में तेल भंडार

*202. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अपार तेल/गैस भंडार होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार तेल एवं गैस की निकासी और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) हाइड्रोकार्बनों के वाणिज्यिक भंडारों की अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में खोज नहीं हो पाई है।

तथापि, देश में अन्वेषण प्रयासों की गति तेज करने के लिए सरकार ने फरवरी, 1997 में एक नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) अनुमोदित कर दी और इसके तहत हाईड्रोकार्बनों के अन्वेषण के कार्यों में प्रतिभागिता के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बोलीदाताओं को अनेक आकर्षक वित्तीय और संविदागत निबंधन प्रदान किए। इस नीति के अंतर्गत कम्पनियों को संविदा क्षेत्र से उत्पादित तेल और गैस का घरेलू बाजार में विपणन करने की स्वतंत्रता है। उत्तर प्रदेश

राज्य में 36,750 वर्ग कि.मी. और 23,500 वर्ग कि.मी. के क्रमशः जी वी-ओ एन एन-97/1 और जी वी-ओ एन एन-2000/1 नामक ब्लाक आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. और इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी-आई ओ सी) के परिसंघ को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के क्रमशः पहले दौर और दूसरे दौर के अंतर्गत प्रदान किए गए।

Oil resources in Uttar Pradesh

†*202 SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that abundant sources of oil/gas have been found in Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government are considering to entrust the work of extraction and distribution of oil and gas to private sector; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Commercial reserves of hydrocarbons have not yet been established in the State of Uttar Pradesh.

However, in order to accelerate pace of exploration efforts in the country, Government approved in February, 1997, a New Exploration Licensing Policy (NELP) providing a number of attractive fiscal and contractual terms to the bidders, from both public and private sectors, to participate in the activities of exploration of hydrocarbons. Under this Policy, companies have the freedom to market the oil and gas produced from the contract area in the domestic market. Blocks GV-ONN-97/1 and GV-ONN-2000/1 in the State of Uttar Pradesh covering areas of 36,750 sq. km. and 23,500 sq. km. respectively were awarded to the consortium of Oil & Natural Gas Corporation Ltd. and Indian Oil Corporation Ltd. (ONGC-IOC) under the first round and second round of NELP respectively.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं मंत्री जी से सवाल पूछूं

†Original notice of the question was received in Hindi.

क्योंकि मैं इस विभाग में काम कर चुका हूं और वे मेरे उत्तराधिकारी होते हैं। जिन अफसरों ने उनको जवाब तैयार करके दिया होगा वे हमको भी इसी तरह का जवाब दिया करते थे। इसलिए मैं इस जवाब के लिए पहले से तैयार था।

श्री राम नाईक: उस समय आप क्या किया करते थे?

श्री जनेश्वर मिश्र: यह बात अलग है कि उस समय क्या किया करते थे, लेकिन यह भी सही है कि आपको भी वही अफसर जवाब दिया करते हैं। आप खुद भी किसी जमाने में अफसर रहे हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के इस बयान से हटकर अखबार में एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में तेल के भंडारण प्रचुर-मात्रा में हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं हमारे आफिसरों ने हमको गलत जवाब तो नहीं दे दिया और उत्तर प्रदेश के मंत्री ने सही जवाब तो नहीं दे दिया, इससे मेरे दिमाग में कौतूहल जगा और उसके फलस्वरूप यह सवाल मैंने पूछा।

मैं मंत्री जी को और संकट में नहीं डालकर उनसे जानना चाहता हूं कि हिमालय की तराई के बारे में क्या भूगर्भशास्त्रियों ने यह बताया है कि यहां मिट्टी के नीचे सेडिमेंटरी चट्टानें आमतौर से मिलती हैं और उन चट्टानों के नीचे तेल की संभावना है? क्या यह सही नहीं है कि हमारे इंजीनियर या जो लोग तेल का शोध करते हैं, वे आमतौर से उन चट्टानों के नीचे जाने की कोशिश में हैं? एक तो यह है और इसी के साथा दूसरा इससे लगा हुआ सवाल यह है कि रूस के वैज्ञानिकों ने और भूगर्भशास्त्रियों ने एक बार रिपोर्ट दी थी कि यह जो गंगा-यमुना की बेल्ट है, यह बेल्ट यूराल और बोल्का बेल्ट जैसी है, जहां से तेल निकलने की संभावना है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद क्या आपने इस पर कोई गंभीर कार्यवाही की है? और अगर नहीं की है तो क्या भविष्य में इस तरह की कोई कार्यवाही होने की संभावना है?

श्री राम नाईक: सभापति जी, मंत्री कैसे उत्तर देते हैं यह हमारे पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने बताया। लेकिन उनके काम करने के तरीके और मेरे काम करने के तरीके में अंतर है, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: रहेगा। सब की अलग-अलग सोच होती है।

श्री राम नाईक: इसका कारण यह है कि आप केवल नौ महीने नौ दिन रहे और मैं दो साल से यह काम कर रहा हूं। लेकिन यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जितना तेल का भंडार निकलना चाहिए था वह अब तक वहां नहीं निकला है। इसलिए मैंने उत्तर में यह कहा है कि अब तक कमर्शियल रिजर्व कोई नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे पहले प्रयास छोड़ दिए थे, वैसे ही हमने प्रयास छोड़ दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। पहले उनके कार्यकाल में 10 ब्लाक्स

उन्होंने निकाले थे, उसमें से एक भी कोई लेने के लिए नहीं आया क्योंकि जिस प्रकार से डाटा की प्रोसेसिंग करनी चाहिए थी, वैसी दुर्भाग्य से नहीं हुई। अब हमने एन ई एल पी बनाया है। एन ई एल पी, आप लोग होते थे तब बनना शुरू हो गया था। इस समय हमने एन ई एल पी 1 में तीन ब्लाक्स निकाले हैं। उनमें से एक ब्लाक गया। अब एन ई एल पी 2 में और अच्छा डाटा प्रोसेस किया है। दो ब्लाक्स निकले। उसमें से एक गया। मतलब उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी ब्लाक नहीं गया था तो दो साल में दो ब्लाक्स गए हैं। लेकिन प्रयास एक्सप्लोरेट्री और शैलो वेल्स का चल रहा है। मैं सदन को यह कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 14 वेल्स ड्रिल किए हैं। जैसे गत सप्ताह में पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में लगभग 800 करोड़ रुपए हमने ड्रिलिंग पर खर्च किए, वैसे ही इन 14 वेल्स को ड्रिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में हमने अब तक 369 करोड़ रुपए लगाए हैं। कोई पूछ भी सकता है कि अब तक यदि नहीं लगाया तो अब आप यह खर्च क्यों कर रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि अब नयी तकनीक आई है जिसके आधार पर जहां पहले ख्याल नहीं आता था कि यहां पर है, लेकिन बाद में निकल गया। जैसे गुजरात में हुआ। गुजरात में जैसे छोड़ रहे थे लेकिन अब निकल गया। अभी अभी राजस्थान में गए तीन-चार महीनों में दो और जगहों पर हमें तेल मिला है। तो नयी तकनीक के आधार पर और कुछ जानकारी जो मिल सकती है वह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी यह काम हम निश्चित तौर पर जारी रखेंगे। अभी जो दो ब्लाक्स हैं जिनको ब्लाक्स दिए गए हैं, ओ एन जी सी और इंडियन आयल कारपोरेशन इन दोनों को डेवलप करने के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं। मुझे आशा है कि जैसे राजस्थान में निकला, गुजरात में निकला वैसे ही उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी निकालने का हम प्रयास करेंगे और इसमें सफलता आएगी और इस भूमिका में हम अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे इतना मैं कह सकता हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है अपने प्रयास के बारे में, उसके लिए तबियत करती है कि मैं उनको साधुवाद दे दूं। लेकिन अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि जो कोई भी सार्वजनिक या निजी कंपनियां इस तरह का तेल निकालेंगी, नयी पालिसी के तहत बाजार में वितरण करने की उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। तेल का बाजार एक संवेदनशील बाजार है। देश भर जानता है कि तेल जब बाजार में आता है तो कितने किस्म की बीमारियां बिक्री तक फैलती रहती हैं। क्या मंत्री जी नयी पालिसी के तहत इस तरह की स्वतंत्रता देते समय बाजार की अन्य खामियों को जो अब तक तेल बाजार में फैली रही हैं उनको समझकर उनका उचित प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे?

श्री राम नाईक: तेल बाजार की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता देने का मतलब स्वच्छंदता देना नहीं है। अब इस समय पर तेल मारकेट कंट्रोल है तब भी उसमें कई खराबियां आती हैं, एडल्ट्रेशन के मामले आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एडल्ट्रेशन का मामला अलग से डील करना चाहिए। ग्राहक का यह अधिकार है कि उसको तेल शुद्ध मिलना चाहिए, ईंधन शुद्ध मिलना चाहिए। फिर वह सरकारी ओ

एन जी सी से मिले, इंडियन आयल कारपोरेशन से मिले या किसी प्रायवेट कंपनी की ओर से मिले। तो सरकार व्यापार में यह जो उदारीकरण का काम कर रही है उसका मतलब यह नहीं है कि उसमें जो उसकी क्वालिटी है उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। फिर अपने पास जितनी पूंजी लगाने के लिए है उतनी तो लगा रहे हैं, ओएनजीसी लगा रही है, आयल इंडिया लगा रही है, लेकिन इससे देश की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए हम बाहर से भी या प्राइवेट सैक्टर से भी पूंजी आए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वच्छंदता इसमें न आए और तेल तथा सारे ईंधन स्वच्छ रूप में, शुद्ध रूप में मिलें, यह प्रयास जो किया है उसमें हमने कुछ सुधार करने की कोशिश की है तथा और भी कोई माननीय सदस्य इसके बारे में सुधार करने के लिए कोई सुझाव दें तो उन पर भी हम विचार करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र : इसको रोकने के लिए क्या आपकी कोई एजेंसी है?

श्री राम नाईक : हर राज्य में राज्य सरकार का सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट होता है, वह अपने ढंग से काम करता है। लेकिन जहां तक केन्द्र सरकार का इसमें सवाल है, हर आयल कंपनी की भी अलग से एक यंत्रणा है और हमने एक साल पहले देश के स्तर पर काम करने के लिए एंटी एडल्ट्रेशन सैल बनाया है और इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस के समकक्ष का अधिकारी उसका प्रमुख बनाया है। धीरे-धीरे सभी राज्यों में यह हो अत: केन्द्र से यह एंटी एडल्ट्रेशन की एक मुहिम चला रहे हैं। इसको देखते हुए धीरे-धीरे एडल्ट्रेशन में कमी आनी प्रारंभ हुई है, इतना मैं कह सकता हूं। इसको मैं और तेज करूंगा तथा इसके लिए सदन का भी सहयोग चाहूंगा।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, so far as the exploration is concerned, it hardly matters whether Mr. Naik is the Minister or whether Mr. Janeshwar Mishra was the Minister, whether it is U.P. or Gujarat or West Bengal. So far as India is concerned, for energy security it is expedient that we have crude exploration as expeditiously as possible, so that the gap between the demand and the supply, which is 70 per cent of crude oil that we have to import, can be met. In this connection, in the reply itself, there is a mention of accelerating the pace of exploration efforts. I think, all of us agree on that. And there is also a mention of attractive fiscal and contractual terms. My question to the hon. Minister is: In the fiscal and contractual terms, can there be a provision, since time is the essence, for getting the crude oil in time? Can there be a provision for a penalty or an incentive vis-a-vis the time for requiring a discovery of oil? Today, it is the Indian companies, but it can be possible that some multinational company may take over a very good oil field and then blocks it for some reason. Can there be a provision for a penalty as well as an incentive for the time-factor for exploring the oil reserves and also for commercial exploration? Can this be included in the terms of exploration policy?

SHRI RAM NAIK: Every contract indicates three stages-initial exploration, then drilling and then commercial utilisation for two years, three years; like that, up to seven years. The time-essence is already available in that. There is a Committee which looks after the progress every quarter. A Government representative is also there to see whether the work is going as per schedule. The question is, keeping in view the time-factor, whether we can include a clause, if that is not done in time, for penalty. I think it may not be possible. I will certainly...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am asking for the provision for a penalty or an incentive.

SHRI RAM NAIK: Incentives are always there. As soon as one gets out oil or gas, one gets more benefits. Everyone always tries to get it as quickly as possible, but if we look at the other conditions of the contract, penalty, probably, may not be useful. The block can be taken over for operation if other conditions are not fulfilled.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य में 36,750 वर्ग किलोमीटर और 23,500 वर्ग किलोमीटर के दो क्षेत्र आवंटित किया जाना बताया है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें तराई के क्षेत्र भी शामिल हैं क्योंकि लंबे समय से यह चर्चा में रहा है कि जहां पहाड़ और मैदान की तराई मिलते हैं, वहां तेल पाया जा सकता है। अभी माननीय मिश्र जी ने भी कहा कि गंगा और जमुना के बेल्ट में यह पाया जा सकता है। महोदय, बिजनौर और नैनीताल जिले के बारे में लगातार चर्चा रहती है, क्या इस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र है और (ख) भाग कि जो 14 कुएं आप ने खोदे हैं क्या उन में से कोई उत्तरांचल में भी है?

श्री राम नाईक : सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज तक जो 46 सिस्मिक सर्वे कैम्पेंस किए गए हैं, उसमें अलग-अलग जिलों में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का कम-से-कम थोड़ा-थोड़ा हिस्सा है, लेकिन ये जो 14 कुएं खोदने का प्रयास किया गया है, मैंने कहा है कि उसमें तेल की दृष्टि से कोई सफलता नहीं मिली है। अभी जो दो ब्लॉक्स पाए गए हैं, वह तराई के क्षेत्र के नहीं हैं, लेकिन जो सिस्मिक सर्वे करने का काम है, वह निरंतर चल रहा है। उस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है और आगे भी होता रहेगा।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान में तेल के भंडार मिले हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इन पर कब तक कार्य चालू हो जाएगा?

श्री राम नाईक : सभापति जी, मुझे उत्तर प्रदेश से राजस्थान में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर कितने कुएं निकलते हैं और वहां कितना तेल मिलता है, इस पर अध्ययन चल

रहा है। जैसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन के स्तर का एक विश्वास आएगा, उस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा, लेकिन अब तक जो सफलता मिली है, उस से उम्मीद होती है कि हम राजस्थान में कुछ अधिक अच्छा काम कर पाएंगे।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Sir, I am not driving the hon. Minister from Uttar Pradesh to Gujarat. My supplementary is arising out of the second part of his reply. All the States have a proprietary right over their resources; and, according to the New Exploration Licensing Policy, the sale profit has also to be given to the States. On the basis of that Policy, a meeting was held between the Gujarat Government and the Government of India, where a decision was taken and a proposal was sent to the Government of India by the Gujarat Government within 10 days. The meeting was held on 8th September, and the proposal was sent on 20th September, 2000. Since then we are hearing that it needs an Inter-Ministerial discussion and then only they will take a decision. I would like to know from the hon. Minister, as far as this aspect of sharing the profit is concerned, how much time it will take and when the Gujarat Government will get its share.

MR. CHAIRMAN : This question does not arise out of it. Question No.203.

*203. *[The questioner (Prof. M. M. Agarwal) was absent. For answer vide page 23 infra.]*

Growth rate of per capita income

204. SHRI JIBON ROY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the rate of growth of per capita income during 1996-97 to 2000-01 (financial year-wise) at constant 1993-94 price?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The rate of growth of per capita income during 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 and 2000-01 (financial year wise) at constant (1993-94) prices, is 6.3 per cent, 2.8 per cent, 4.8 per cent, 4.8 per cent and 3.5 per cent respectively.

SHRI JIBON ROY: Mr. Chairman, Sir, the fugures given by the hon. Minister indicate that the decline in the economy is not a recent phenomenon.